तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5/अपील/2018 बिरेन्द्र कुमार/पार्वती	
8/8/24	पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया गया। वकील अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 675/1 रकबा 5 बीघा ग्राम खटावदा में स्थिति है। जिसमें से अपीलांट 4 बीघा भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.06.2006 से बेचान कर दिया था, जिसका विवादित नामान्तकरण संख्या 518 दिनांक 20.11.2006 को ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार 4 बीघा का नामान्तकरण सम्पूर्ण 5 बीघा का ही नामान्तकरण दर्ज कर दिया है। जो कि विधि के विपरित होने के कारण निरस्त योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विवादित नामान्तकरण निरस्त किया जावे।	

वकील अपीलांट के उक्त कथनों का खण्डन करते हुए रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि हमने 5 बीघा के पैसे दिए, ये हमे काश्त नहीं करने दे रहे है। हमारे द्वारा इनके विरूद्ध निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है जो विचाराधीन है। दावे के विचारण के दौरान नामान्तकरण अपील को स्टे किया जाना चाहिए।

वकील रेस्पो0 के उक्त कथनों का खण्डन करते हुए अपीलांट ने कथन किया कि हमने 5 बीघा में से 4 बीघा का ही रजिस्टर्ड बेचान किया है। नामान्तकरण अपील में कब्जा तय नहीं होता हैं। इनका दावा निषेधाज्ञा का है न कि हकों की घोषणा का है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तकरण दर्ज नहीं कर सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण दर्ज कर दिया है जिसे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निरस्त फरमायी जावे।

हमने प्रस्तुत तर्को पर पुनः मनन कर विवादित नामान्तकरण व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 14.06.2006 में खसरा संख्या 675/1 रकबा 5 बीघा में से अपीलांट विरेन्द्र कुमार ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती पार्वती के नाम 4 बीघा भूमि का बेचान किया जाना प्रमाणित है। उक्त बेचान के उपरान्त इस रजिस्टर्ड बेचाननामे का नामान्तकरण संख्या 518 दिनांक 20.11.2006 खोला गया, जिसमें 4 बीघा के स्थान पर सम्पूर्ण 5 बीघा भूमि का ही नामान्तकरण भरा जाकर ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक कर दिया गया है, जो कि विधि अनुरूप नहीं है। न्यायालय उक्त नामान्तकरण को निरस्त किया जाना उचित समझता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विवादित नामान्तकरण संख्या 518 दिनांक 20.11.2006 ग्राम पंचायत अणदगंज निरस्त किया जाता है। नायब तहसीलदार, दबलाना को आदेशित किया जाता है। कि वह मुताबिक विक्रय पत्र के पुनः नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

खण्ड अधिकारी,
हिण्डोली